जल संसाधन के प्रबन्धनः वाघाड़ परियोजना (वाघाड़ महासंघ जिला–नासिक, महाराष्ट्र) का अध्ययन

गोवर्धन.र.कुलकर्णी[1] ईश्वर.स.चौधरी[1] डॉ.संजय.म.वेलकरे[1] भरत.त्रं.कावले[1]

[1]महात्मा जोतीबा फुलेपाणी वापर संस्था, गाँव–ओझर, तहसील–निफाड, जिला–नासिक, महाराष्ट्र

हिन्दुस्तान म सहभागी सिचाई की परंपरा है। किसान भाई जल स्त्रोतों का रखरखाव और परिचालन अपनो भागीदारी से करते हैं। महाराष्ट्र के माल गुजारी तलाव फड़ पध्दत राजस्थान की वाराबंदी लोक सहभाग से सिचांई के उत्तम उदाहरण है। मुगलों के जमाने मे भी जल सिचांई परियोजना बनाई जाती थी जिसे प्रबंन्धन हेतु किसानों के हाथो सौप दिया जाता था। उस वक्त किसानों में उन योजनाओं के प्रति अपने–पन की भावना थी। इसी भावना से किसान अपना समर्पित सहयोग परियोजना क रखरखाव मे देता था। स्वतंत्रता पूर्व किसान के पानी पर हक जमाने के लिये कुछ अधिकारवादी नोतियों को वजह से किसानों का सहयोग जल वितरण क्षेत्र से हटता गया। किसान का अपना पानी पराया हो गया। जैसे–जैसे किसानों का सहयोग घटता गया सहभागी सिचाई का सूरज ढलने लगा। आजादी के बाद भी वही नोतियाँ बनी रही। इसका नतीजा देश में ढर सारे डम बनने के बावजूद भी सिंचाई के क्षेत्र में बढ़ोत्तरो के बजाय कटौती ही होने लगी। डम मे पानी बारिश का है तो वह मुफ्त में ही मिलना चाहिये आम किसानों की ये सोच बन गई। राजनीति ने इस मानसिकता को बढ़ावा दिया। दूसरी ओर चाहे 50 हे. की सिचाई हो या 500 हे. मेरो तनख्वाह पर उसका कोई असर होने वाला नहीं। ये भी मानसिकता बनी इन्ही के कारण डम का पानी पूरे लाभ क्षेत्र को मिलने के बजाय मुठ्ठी भर लोगों का वतन बन बैठा। टेल के किसान को सिंचाई के लिये पानी नहीं और सरकार को सिंचाई करने का महसुल नहीं। महसुल ना मिलने से जल वितरण व्यवस्था का रखरखाव नहीं और वितरण व्यवस्था सही न होने से जल वितरण नहीं। इसी चक्र मे नहर का पानी उलझ गया। इससे राष्ट्रीय कृषि उत्पाद के साथ किसान का आर्थिक एवम् सामाजिक स्तर घटता गया। दूसरी ओर हिस्सो मे बटती जमीने बदला हुआ मौसम बारिश के घटते दिन बढ़ती आबादी के साथ बढ़ती अनाज की मांग ज्यादा उपज के लिये नगद फसल की ओर किसान का बढ़ता ध्यान, इन सब बातों को ध्यान मे रखते हुए नहर की सिंचाई वितरण प्रबन्धन में कुछ सकारात्मक बदलाव होने अनिवार्य है। ये सब बदलाव किसान के सहभाग बिना अधूरे है। सहभागी सिंचाई से किसानों को पानी के बँटवारे के साथ खाद्यान्न सुरक्षा भी दी जा सकती है। इसी बात पर गौर करते हुए देश की तथा राज्य की जल नोति में जल संसाधन के प्रबन्धन में उपभोक्ता संस्थाओ को शामिल करना एवम् ऐसी सुविधाओं का प्रबन्धन हस्तांतरण करना शामिल किया गया।

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जिले में स्थित वाघाड मध्यम सिंचाई परियोजना प्रबन्धन मे लोक सहभाग तथा प्रबन्धन हस्तांतरण का उत्तम उदाहरण है। ये परियोजना राष्ट्रीय महामार्ग एन.एच.3 पर मुंबई से 200 कि.मी. की दूरी पर है। दिड़ोरी तहसील के कोलवण नदी पर स्थित है। ये आठ माही सिचांई परियोजना है। परियोजना की कुल क्षमता 2550 एम. सी.एफ.टी. है। दो नहरें दाई 45 कि.मी. लम्बाई (वहन क्षमता 150 डें.क्यू) बायीं 15 कि.मी. (वहन क्षमता 50 डे.क्यू)ये सिंचाई परियोजना 1978 मे पूरी हुई। वाघाड़ का 40% पानी उसके नीचे पालखेड़ डम के लिये आरक्षित है। पीने का और जल वाष्पीकरण छोड़कर 1157 एम.सी.एफ.टी पानी 9642 हे. (वाघाड़ का सी.सी.ए.) के लिय है। दाई नहर पर बीस संस्था और बाए नहर पर चार संस्थाएं कार्यरत है। इन चौबीस जल उपभोक्ता संस्थाओं ने मिलाकर प्रोजेक्ट लेवल जल उपभोक्ता संस्था वाघाड़ प्रकल्प स्तरोय पाणी वापर संस्था (वाघाड़ महासंघ रजि. नंबर–नासिक पा.पा.वी. /वाघाड़/मध्यम/प्रकल्प/स्तर/पा.वा.स./9/9/2008) स्थापित की।

2005 मे वाघाड़ परियोजना वाघाड़ महासंघ के हाथों प्रबन्धन हेतु सौंपी गयी। तब से परियोजना के सिंचाई जल का नियोजन और वितरण संस्था द्वारा किया जाता है। संस्था का लाभ क्षेत्र 24 जल उपभोक्ता संस्थाओं के जरिये दो तहसील में सत्रह गाँवों मे फैला है। लगभग 16,000 किसान सहभागी सिंचाई मे कार्यरत है। अंगूर, प्याज, सोयाबीन मूँगफली, टमाटर, चना, गन्ना, तरकारी जैसी फसलें ली जाती है। इस परियोजना की और एक विशेषता है यहाँ का किसान अपनी कुशलता पूर्वक नियोजन से टेल टू हेंड सिंचाई के जरिये आठ महिने से बारह महिने सिंचाई कर रहा है। सहभागी सिंचाई के पूर्व काल में वाघाड़ की नहरें साल में एक–दो बार ही चलती थी। मुश्किल से 900 हे. की सिंचाई होती थी। किसान प्रति वार्षिक प्रति हेक्टर 2800/–रु कमाता था। सिंचाई कर भो सालाना 2 लाख तक ही जमा होता था। किसान

क समर्पित सहभाग से जो बदलाव आया उसकी वजह से आज पूरा लाभ क्षेत्र सिंचित हो रहा है। नहरे साल में 5–6 बार चल रही है। सरकार की सिंचाई कर की आमदनी भी 27 लाख तक बढ़ गयी। अंगूर जैसी बारहमासो फसल के कारण किसान प्रति.हेक्टर सालाना 1,50,000 तक मुनाफा कमा रहा है। प्रकल्प स्तरीय संस्था का संचालक मंडल 24 जल उपभोक्ता संस्थाओं में से चुना जाता है। उसमे तीन महिला का होना अनिवार्य है। वाघाड़ की संस्था खाली पानी का बँटवारा करके ना रुकी। लाभ क्षेत्र में निर्मित कृषि उत्पाद का मूल्य वर्धन के लिये वॅप्को (वाघाड़ एग्रीक्लचरल प्रोडयूसर कंपनी) स्थापित की।

वाघाड़ प्रकल्प स्तरीय संस्था की सदस्य संस्था				
अनु.क	संस्था नाम	गाँव	संस्था क्षेत्र हे.	पाणी कोटा एम.एम^3
1.	कोलवण पानी वापर संस्था	हातनोरे	266	628.61
2.	कानिफनाथ पानी वापर संस्था	निलवंडी	318	631.77
3.	मोहलबन पानी वापर संस्था	दिंडोरी	142	283.27
4.	गणेश पानी वापर संस्था	दिंडोरी	423	831.85
5.	बालासाहेब राजे पानी वापर संस्था	दिंडोरी	131	260.99
6.	पोपटराव जाधव पानी वापर संस्था	दिंडोरी	107	212.46
7.	माणकी परिसर पानी वापर संस्था	दिंडोरी	90	180.10
8.	आंबेडकर पानी वापर संस्था	दिंडोरी	762	154.2.17
9.	जय जर्नादन पानी वापर संस्था	कोराटे	252	502.04
10.	समर्थ पानी वापर संस्था	मोहाड़ी	855	1695.52
11.	सप्तश्रुंगी पानी वापर संस्था	मोहाडी	284	564.89
12.	नवनाथ पानी वापर संस्था	मोहाड़ी	1030	2042.48
13.	बाणगंगा पानी वापर संस्था	ओझर	181	360.85
14.	बळीराजा पानी वापर संस्था	जानोरी	334	464.13
15.	लक्ष्मी माता पानी वापर संस्था	टंबे	286	569.02
16.	बनेश्वर पानी वापर संस्था	टंबे	284	563.56
17.	जय बजरंग पानी वापर संस्था	जानोरी	368	730.27
18.	जगंदबा पानी वापर संस्था	जानोरी	325	645.24
19.	महात्मा फुले पानी वापर संस्था	ओझर	319	633.79
20.	जय योगेश्वर पानी वापर सस्था	ओझर	562	1114.91
21.	महालक्ष्मी पानी वापर संस्था	निगडोल	354	703.84
22.	श्रीकृष्ण पानी वापर संस्था	पाड़े	329	653.67
23.	माउली आदिवासी पानी वापर	कादवा	692	1373.53
24.	रंगनाथ गोपाला पानी वापर संस्था	वलखेड़	979	1942.53

वाघाड़ की सफलता की ओर देखा जाये तो एक बात प्रमुख रुप से सामने आती है। वो ये कि वाघाड़ की सफलता किसान के समर्पित सहभाग का आदर्श टोम वर्क है। टोम वर्क में है किसान, स्वयं सेवी संघटन, शासकीय यंत्रणा.

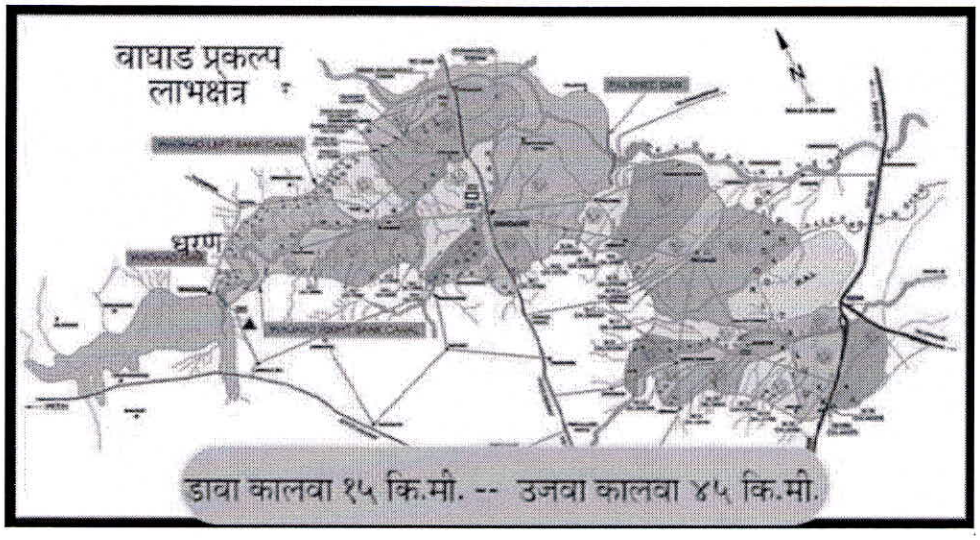

वाघाड़ की सहभागी सिंचाई की शुरुआत ओझर गाँव जो कि निफाड़ तहसील का वाघाड़ के लाभ क्षेत्र का टेल का गाँव ओझर का 1151 हें. क्षेत्र वाघाड़ के लाभ क्षेत्र मे आता है। वाघाड़ की योजना 1978 में बनने के बावजूद भी ओझर के किसानों के नसीब में नहर का पानी नहीं था। ओझर का किसान बारिश की फसल लेता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस ऐसा चल रहा था। टेल तक मुश्किल से पानी पहुँचा था। 1151 हे. में खाली 35 हे. की सिंचाई होती थी। इन ही हालातो में कै बापू साहेब उपाध्ये ओझर के लोक प्रतिनिधि और समाज परिवर्तन केंद्र (ओझर में काम कर रहा स्वयंसेवी संगठन) के संस्थापक अध्यक्ष ने ओझर के किसानों को सहभागी सिंचाई के लिये प्रेरित किया। समय की जरुरत के अनुसार स्वयंसेवी संस्था ने अपने काम में बदलाव लाकर आज भी समाज परिवर्तन केंद्र जल उपभोक्ता संस्थाओं के साथ सकियता से कार्यरत है। ढेर सारी बैठकों के बाद किसान ने जल उपभोक्ता संस्था बनाने की ठान ली और एक जन आंदोलन सहभागी सिंचाई के क्षेत्र में शुरु हुआ जिसका नारा था "हक का पानी छोड़ना नहीं दूसरों का पानी तोड़ना नही" सन् 1991 में तीन जल उपभोक्ता संगठन (महात्मा फूले पानी वापर संस्था, जय योगेश्वर पानी वापर संस्था, बाण गंगा पानी वापर संस्था) ओझर मे स्थापित हुई। सरकार के साथ करार हुआ, उसमें संस्था का पानी कोटा दर्ज किया गया। कानून कोटे इतना पानी संस्था तक पहुँचाना सरकार पर अनिवार्य हो गया। ओझर में जहाँ पर 35 हे. की सिंचाई होती थी वहाँ पर आज रब्बी मे 750 हे. और गर्मी मे 330 हे. कि सिंचाई होती है। ओझर मे आया बदलाव देखकर लाभ क्षेत्र के बाकी गाँवो के लोग भी सहभागी सिंचाई की ओर आकर्षित हुये। क्योंकि हेड का टेल भी पानी से वंचित था। बारह साल में वाघाड़ का लाभ क्षेत्र सहभागी सिंचाई को लपेट में आ गया। सही मायने पर किसान अपने हक के पानी का मालिक बन गया। वाघाड़ के सब किसानों को सही तरह से पानी मिलने लगा। संस्था के लाभ क्षेत्र मे पानी क बँटवारे का सही संतुलन बना रहने के लिये पूरे परियोजना का जल वितरण संस्था के हाथ मे आया तो पानी के नियोजन और नियत्रण में सुविधा हुई।

वाघाड में जलउपभोक्ता संस्था स्थापना और सिचाई क्षेत्र बढोतरो का प्रवास

(सन् 1991 से 2003 तक) (सिचाई 900 हे. से 9000 हे.तक)

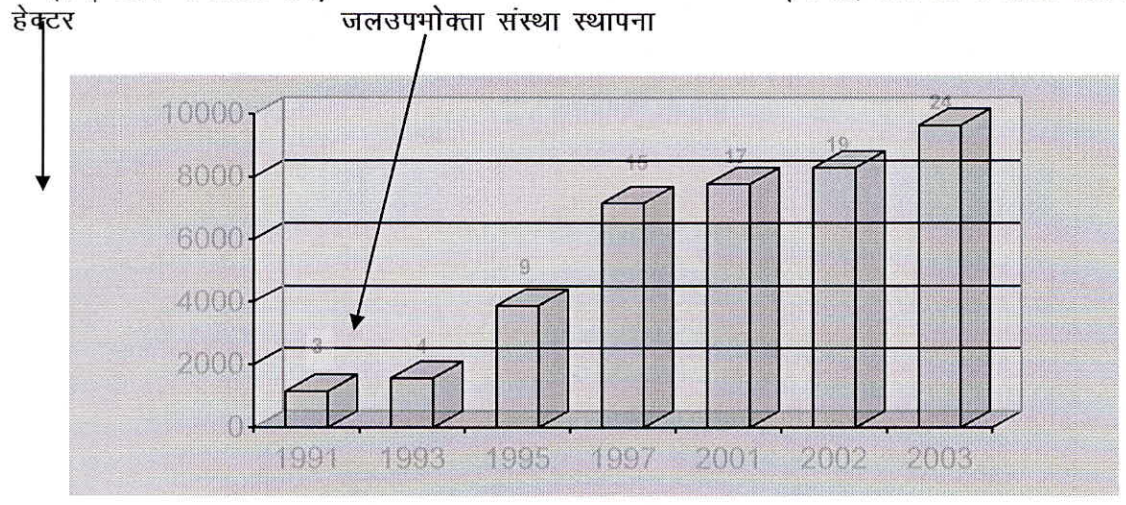

वाघाड़ की फसलें

फसले	अंगूर	गन्ना	सोयाबीन	गेहूँ	टोमॅटो	फूलशेती	फलबाग	चारा पीके
क्षेत्र हे.	4253	960	1520	2300	105	90	80	132

24 संस्थाओ ने मिलकर महासंघ बनाया महाराष्ट्र सरकार के सामने प्रस्ताव रखा। सरकार भी इससे प्रभावित हुई। मगर सिंचाई कर की वसूली का यकीन नही था। उस वक्त सब संस्थाओ ने मिलकर पाँच लाख रु इकट्ठा किये और सरकार को बैंक गारंटी दी। सन् 2003 मे वाघाड़ की नहरें और सन् 2005 में प्रबंधन के लिये पूरी परियोजना प्रकल्प स्तरीय संस्था क हाथों सौंपी गयी तब से वाघाड़ परियोजना का सिंचाई के पानी का नियोजन और नियंत्रण संस्था कर रही है। 24 जल उपभोक्ता संस्था में से 12 सद्स्य प्रकल्प स्तरीय संस्था के लिये चुने जाते है। सिंचाई कर की आकारनी और वसूली जल उपभोक्ता संस्था द्वारा की जाती है। डम के मुँह पर सरकार प्रकल्प स्तरीय संस्था को पानी घन मापन से नापकर देती है। आगे बँटवारे का नियोजन प्रकल्प स्तरीय संस्था करती है। मायनर लेवल के संस्था का लाभ क्षेत्र जहाँ से शुरु होता है वहाँ पर पानी नापने के साधन (सि.टी.एफ.) के जरिये उसको पानी नापकर दिया जाता है। पानी का नापना संयुक्त होता है रजिस्टर मे दर्ज करके दोनों तरफ से दस्तख्त किये जाते है। जल कर आकारनी के वक्त शासन प्रकल्प स्तरीय जल उपभोक्ता संस्था को जल कर आकारणो करता है। उसमें व्यवस्थापन खर्च क तहत 10% राशि मिलाकर प्रकल्प स्तरीय संस्था मायनर लेवल के संस्था को आकारणो करता है। हर संस्था अपना खर्च लगाकर किसान को जल कर की आकारणो करती है। हर संस्था ने दफ्तरी कामकाज के लिये सचिव और पानी का बँटवारे के लिये कनाल इन्सपेक्टर नियुक्त किये है उनकी तनख्वाह जल उपभोक्ता संस्था देती है। रबी सीजन में शासन का दर 72.60 रूपये प्रति यूनिट और गरमी में 144/– रूपये प्रति यूनिट है। किसान का पानी प्रति घंटा रबी में 70/– रूपये और गरमी में 150/– प्रति घंटा है।

जल कर की आकारणो

शासन → वाघाड महासंघ → जल उपभोक्ता संस्था → किसान

जल कर की वसूली

किसान → जल उपभोक्ता संस्था → वाघाड महासंघ → शासन

जल कर की वापस

शासन (100% वसूली) → 50% जल उपभोक्ता संस्था

शासन (100% वसूली) → 28% वाघाड महासंघ

अक्टूबर के महीने मे संस्था के प्रतिनिधि और शासन अधिकारी साथ बढ़कर डम मे उपलब्ध पानी के आधार पर साल के पानी का नियोजन करते है। (60% रब्बी के लिए और 40% गरमी के लिए) संस्था का आय.सी.ए. पर आधारित पानी कोटा निकाला जाता है। संस्था को साल क पानी का कोटा अक्टूबर में ही मालूम होता है। हमेशा यह पाया जाता है नहर के प्रवाह से पानी इस्तेमाल करने वाला किसान और उसी नहर से पानी लिफ्ट करने वाला किसान इन दोनों के बीच एक टकराव दिखता है। मगर यहा पानी नियोजन के वक्त सबका साथ मे नियोजन होता है। हर नहर अवतन के पहले संस्था की बैठक होती है, नियोजन होता है फिर नहरे चलाई जाती है। हर जल उपभोक्ता संस्था का लाभ क्षेत्र हेड, मिडल और टेल हिस्सो में बाँटा जाता है। जिस संस्था का लाभ क्षेत्र 500 हें, तक है उसी के लिये 9 सदस्य और जिस संस्था का 500 हे. के ऊपर है उसके लिये 12 सद्स्य चुने जाते है। चुने गये सद्स्य मे हर प्रभाग से एक महिला का होना अनिवार्य है। चुने गये सदस्य मंडल का कार्यकाल छः साल का है। अध्यक्ष पद दो साल के लिये हर प्रभाग को मिलता है। अध्यक्ष पद का एक कार्यकाल महिला अध्यक्ष के लिये आरक्षित है।

सन् 2005 मे महाराष्ट्र शासन ने सिंचाई कानून (महाराष्ट्र सिंचन पद्धति से शेतक–यान कडून व्यवस्थापन कायदा 2005) पारित किया। कानून क तहत लाभ क्षेत्र के हर किसान को अपने पानी कि हकदारी जल उपभोक्ता संस्था के माध्यम से मिली। जब कोई संस्था संघटित होती है। तब उस संस्था के जल वितरण प्रणाली का लोक सहभाग से पुनर्निर्माण करके संस्था के हाथो प्रबंन्धन हेतु सौपी जाती है। अगर संस्था का पहला चुनाव बिना मतदान होता है तो राज्य सरकार की तरफ से जल उपभोक्ता संस्था को 15–20 हजार की प्रोत्साहन राशि मिलती है। किसान का पानी का हक उसके पास सही पहुँचता है या नहीं ये जाचने के लिये और डम के पानी के मुताबिक किसान की पानी की हकदारी तय करने के लिये कानून के तहत महाराष्ट्र जल संपत्ती नियमन प्राधिकरण की स्थापना की है। जल उपभोक्ता संस्था की 15%

आर्थिक भागीदारी से सरकार की तरफ से संस्था के लिये 150 स्क्वायर फुट क दफ्तर की इमारत का निर्माण किया जाता है। निर्धारित समय मे सिंचाई कर का भुगतान जल उपभोक्ता संस्था की तरफ से होता है तो राज्य सरकार की तरफ से जमा राशि में से 50% राशि संस्था को वापिस को जाती है। साल मे एक बार संस्था की करोबारी चर्चा के लिये और पानी के नियोजन के लिये दो सर्वसाधारण सभा आयोजित की जाती है। साल मे 8–10 बार संस्था के संचालक मंडल की बैठक होती है। हर जल उपभोक्ता संस्था हर साल अपना वार्षिक अहवाल प्रस्तुत करती है। इस अहवाल में संस्था के पूरे साल का करोबार का विवरण होता है। ये अहवाल जल उपभोक्ता संस्था के कारोबार का आईना है।

हमेशा ये कहा जाता है कि किसी विशेष व्यक्ति द्वारा शुरु किया काम उसके बाद रुक सा जाता है। मगर ओझर वाघाड़ में ये नही हुआ कै बापू साहेब उपाध्दे, कै राजाभाऊ कुलकर्णी, के बाद भरत कावले (समाज परिवर्तन के कार्याध्यक्ष) श्री रामनाथ वाबले, श्री शहाजी सोमवंशी, श्री शिवाजी पिंगल, आदि ने डोर सम्भाली आज सहभागी सिंचाई के आंदोलन मे तीसरी पीढ़ी कार्यरत है। आज यहाँ हो रहा काम उतना ही जोशीला औरों के लिये आर्दशवत है।

वाघाड़ परियोजना से प्रेरणा लेकर महाराष्ट्र मं कई सिंचाई परियोजनाओं पर सहभागी सिंचाई योजना कार्यरत हुई आज महाराष्ट्र मे 3500 से ऊपर जल उपभोक्ता संस्था क माध्यम से लगभग 32 लाख हें. में सहभागी सिंचाई कार्यरत है। परियोजना के प्रबन्ध का अध्ययन करने के लिये देश–विदेश से किसान, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि, विश्व बैंक के सदस्य, सरकारी अफसर परियोजना अधिकारियों से भेंट करते है। परियोजना को सन 2009 मे आय.सी.आय.डी का वॅट सेव अवाड, राष्ट्रीय उत्पादकता पुरस्कार, सी.आय.आय हैदराबाद का उत्कृष्ट जल नियोजन पुरस्कार, महाराष्ट्र शासन का राज्य स्तरीय उत्कृष्ट व्यवस्थापन पुरस्कार प्राप्त हुआ।

ओझर एवं वाघाड़ को सहभागी सिंचाई की यशस्विता तथा लाभ क्षेत्र में आये बदलाव के मुख्य बिंदुः

- किसानों का समर्पित सहभाग

अभियंता द्वारा बनाई पार्थिव रचना लोक सहभाग बिना अधूरी है। उनका कहना था वाघाड़ के टेल को पानी नही जायेगा, किसान ने मायनर का पत्थर, मिट्टी निकालकर मरम्मत की और टेल मे 153 हे. की सिंचाई की। परियोजना हस्तांतरण के वक्त सरकार को सिंचाई महसूल की बैंक गारंटी देने के लिये 5 लाख की राशि इकट्ठा की। वालमी ने (वॉटर एन्ड डेवलपमेंट इन्स्टीट्यूट औरंगाबाद) जो पानी बँटवारा और नापना सिखाया उसका मायनर पर सही अध्ययन किया। घन मापन से नापकर मिलने वाले पानी का बँटवारा किसानों मे घंटों के आधार पर किया। मायनर के पुनर्निर्माण में प्रति हे. 500/– (200/– नकद और 300/– का श्रमदान) अंशदान दिया।

- किसान को सिंचाई सोच मे आया बदलाव

मेरे साथ मेरे पड़ोसी का भी नहर के पानी पर हक है। पानी का मूल्य आधा करना मेरा फर्ज है। अर्वतन के दौरान संस्था का कैनाल इस्पेक्टर पानी बँटवारे के साथ एक रिपोर्ट तैयार करता है। उसमें पानी बाँटते वक्त नहर पर पाया गया आँखो देखा हाल होता है और वह रिपोर्ट अर्वतन के बाद की बैठक मे पढ़ो जातो है। उस पर बड़ी गौर से चर्चा होती है। जहाँ कहीं गलत हो रहा वहाँ पर कानून या दंडात्मक कार्यवाही के बजाय (2005 के कानून के तहत संस्था को ढर सारे अधिकार प्राप्त है) सामाजिक दबाव का उपयोग करके लोगों की मानसिकता में बदलाव लाया जाता है। मानसिकता में बदलाव आये तो सवाल जड़ से हल होता है।

- सिंचाई कर की वसूली और कर्मचारी नियुक्ति

सिंचाई कर के आकरनी और वसूली संस्था की तरफ होने से संस्था की आर्थिक स्थिति में संपन्नता आयी। साथ ही संस्था क कर्मचारियों को नियुक्ति और उनको तनख्वाह संस्था द्वारा दो जातो है। जिससे कर्मचारियों पर एक दबाव बनाये रहता है। वाघाड़ की संस्थाओं ने कर्मचारी नियुक्ति करते वक्त लाभ क्षेत्र के ही किसानों के लड़का को वाल्मी औरंगाबाद में प्रशिक्षित किया और काम पर लगाया।

- राजनीति को दूर रखा

पानी सर्वव्यापी है। खुद का कोई रंग नही जिसमें मिलता उसी का रंग प्राप्त करता। पानी के बिना किसान का विकास अधूरा है। ये बात ध्यान में रखते हुये वाघाड़ के किसान ने पानी को राजनीति से दूर रखा। वाघाड़ क आज तक के सभी चुनाव वोटिंग प्रकिया बिना हुये।

- टेल ट, हेड सिंचाई

नहर का पानी सबसे पहले आखरी वाले किसान को मिलने से उसके मन में संस्था के प्रति एक अपनेपन की भावना आ गयी। विश्वास पैदा हुआ। संस्था के प्रति आदर भाव बढ़ गया। संस्था पूर्व काल में उसको पानी देखने को ही नहीं मिलता था। आज उसके खेत में सिंचाई हो रही है।

- आठ महीने पानी में बारह महीने सिंचाई

ये सोच है कि आठ महीने पानी से बारह महीने सिंचाई करने से क्षेत्र में बढातरी होती है। मगर ऐसे बदलाव करके भी अगर सही नियोजन नही होगा तो कुछ खास हासिल नही होता। वाघाड़ के किसान ने कुशलता पूर्वक नियोजन से अंगूर जैसी बारह महीने फसल आठ महीने परियोजना पर खड़ी की। जल उपभोक्ता संस्था का जो करारनामा होता है, उसमें स्पष्ट रुप से दर्ज किया गया है कि जल उपभोक्ता संस्था खरीफ रबी मे पानी बचाकर डम मे रख सकती है। उसका उपयोग गर्मी के मौसम में कर सकती है। इससे फसल की घनता मे बढातरी होगी। वाघाड़ पर इसो बदलाव से किसान के साथ–साथ खेत मजदूर का जोवन स्तर भी ऊँचा हो गया है अंगूर के सहारे वाघाड़ का किसान प्रति हेक्टर प्रति वर्ष दो लाख तक कमा रहा है। खेत मजदूर के लिए सालाना 40–50 दिन के बजाय 250 दिन क रोजगार का सृजन हुआ।

- फसल की आजादी

फसल की आजादी मिलने के कारण किसान ज्यादा उपज वाली फसलें लेने लगा। साथ ही सरकार के सिंचाई कर के महसूल मे बढ़ोतरी हुयी।

- पानी का नापकर बँटवारा और संयुक्त पानी वापर

मौसम बदलाव के कारण प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता घट रही है। ऐसी हालत में उपलब्ध जल का सही नापकर बँटवारा किया तो ही सबको पानी मिलेगा। ये बात ध्यान मे रखकर पानी का बँटवारा होता है। जितनी जमीन उतनी सिंचाई के बजाय जितना पानी उतनी सिंचाई की जाती है। अर्वतन के दौरान आयी किसान की मांग मायनर की वहन क्षमता को ध्यान मे रखकर किसान के पानी के घंटे तय किय जाते है।

- घंटो पर आधारित पानी बँटवारे के फायदे

1. किसान ने समय का मूल्य समझा।
2. पानी की बर्बादी कम होकर सिंचाई की कार्य क्षमता बढ़ी।
3. किसान के जल कर में कटौती।
4. जल उपभोक्ता संस्था के पानी में बचत।
5. जितनी फसल की जरुरत उतना ही पानी का उपयोग।
6. जल कर आकारणी में आसानी ! (घंटो के हिसाब पर)
7. सिचांई के मनुष्य बल में कटौती।
8 पड़ासी द्वारा सिंचाई पर नजर।
9. पानी के बँटवारे में अनुशासन।

देखा जाय तो वाघाड़ के कमांड के लिये जितना पानी है उस पानी में अगर सभी लाभ क्षेत्र नहर के जरिये सिंचित किय तो दो ही अर्वतन हो पायेंगे (प्रति हेक्टर पानी की उपलब्धता आठ इंच)। मगर सही तरीके से बँटवारा किया जाये एवं ठिबक सिंचाई का उपयोग (वाघाड़ के आधे लाभ क्षेत्र मे ठिबक सिंचाई का उपयोग किया जाता है) करके दो आर्वतन क बीच फसल क पानी की जरुरत को भी पूरा किया जाता है। तब यहाँ का किसान अपने बावड़ी का पानी फसल को देता है। यानि नहर का पानी (भूपृष्ठ जल) और बावड़ी (भूजल) का पानी इन दोनों का संयुक्तरित्या उपयोग होता है।

- उत्पादित कृषि माल का मूल्यवर्धन

संस्था क सुयोग्य बँटवारे से किसान को पानी मिला उसका कृषि उत्पाद बढ़ा। दिन–ब–दिन मौसम मे आये बदलाव के कारण फसले रोग को चपेट मे आ रही है। सही सलाह न मिलने से गलत और अनियंत्रित तरीके से कृषि रसायनों का इस्तेमाल होने लगा उससे पयावरण की हानि के साथ उत्पादित कृषि माल बाधित हो रहा है। बाधित कृषि माल इस्तेमाल करने से समाज का स्वास्थ्य घटा। साथ में उत्पादित माल के बाजार व्यवस्था का सवाल है। इन सबको ध्यान मे रखते हुये तष्टेबर 2009 में वॅप्को के नाम से कृषि माल उत्पादकों की कंपनी स्थापित की ताकि इन सवालों का हल निकाला जा सके।

- दिनों–दिन कारोबार में आधुनिक तकनीकों का उपयोग

(मोबाइल हैन्डसेट के द्वारा जल उपभोक्ता संस्था का पानी कोटा निकालना)

जल उपभोक्ता संघटनों की कारोबार में आधुनिकता लाने के लिये कम्प्यूटर मोबाईल हैन्डसट का उपयोग बहुत जरुरी है। मोबाइल हैन्डसेट आसानी से उपलब्ध है और हर कोई उसका उपयोग करता है। मोबाईल हैन्डसेट के कुछ कार्य प्रणाली का उपयोग करके जल उपभोक्ता की कारोबार गति बढ़ सकती है। जैसे कि संस्था का अर्वतन का पानी कोटा निकालना, रोटेशन के दौरान पानी गेज का रिकार्ड रखना। नोकिया कंपनी के 2000/–के नीचे के हैन्डसेट इसके लिए बहुत उपयुक्त है।

पानी का कोटा निकालने के लिए मोबाइल में कन्वटर कार्य प्रणाली का उपयोग किया जाता है।

1 पहले एक्सट्रा आप्शन को खुलवाना।
2 उसमें कन्वटर आप्शन को खुलवाना।
3 उसमें "माय कनवरजन" मे अपने को कई कनवरजन से दर्ज करने की सुविधा है।
4 मूलभूत जानकारी को इसमें दर्ज करने के लिए प्रथम एडिट का पर्याय उपयोग में लाना।
5 उसमें 4 सब–आप्शन में मूलभूत जानकारी को दर्ज करना है।

- टायटल – अपने संस्था का नाम दर्ज करना।
- इनपुट – यहां पर एम.सी.एफ.टी टाईप करके दर्ज करना (डम से छोडा हुआ पानी)
- आउटपुट – यहां पर डि.क्यु टाईप करके दर्ज करना (संस्था का आवर्तन का पानी कोटा)
- फक्टर – नीचे दिए गए सूत्र के मुताबिक आयी हुयी फीगर यहाँ दर्ज करनी। यह हर संस्था के लिये अलग होती है।

$$\text{फक्टर} = \frac{11.57 \times \text{संस्था का आय.सी.ए}}{\text{प्रकल्प का आय.सी.ए}}$$

यहाँ पर आपका डाटा दर्ज करने का काम पूरा होता है। जब संस्था क पानी का कोटा निकालना है उस वक्त माय कनवरजन में जो संस्था का नाम दर्ज किया है, उसे खुलवा कर उसमे कनवरजन पर्याय आयेगा। स्क्रीन पर एम.सी.एफ.टी. और डि.क्यू. ऐसे दो नाम आयेगे। डैम में से छोड़े जाने वाले पानी का अंक दर्ज करना नीचे तुरंत संस्था का पानी कोटा डि.क्यु मे आता है। डम में से छोड़े जाने वाल पानी का अंक दर्ज करते वक्त उस पानी में से नहर का वॉटर लॉस और लिफ्ट क पानी का हटा देना। स्प्रेडशीट मे कुछ बदलाव करके पानी के गेज को रिकॉर्ड़ किया जा सकता है।

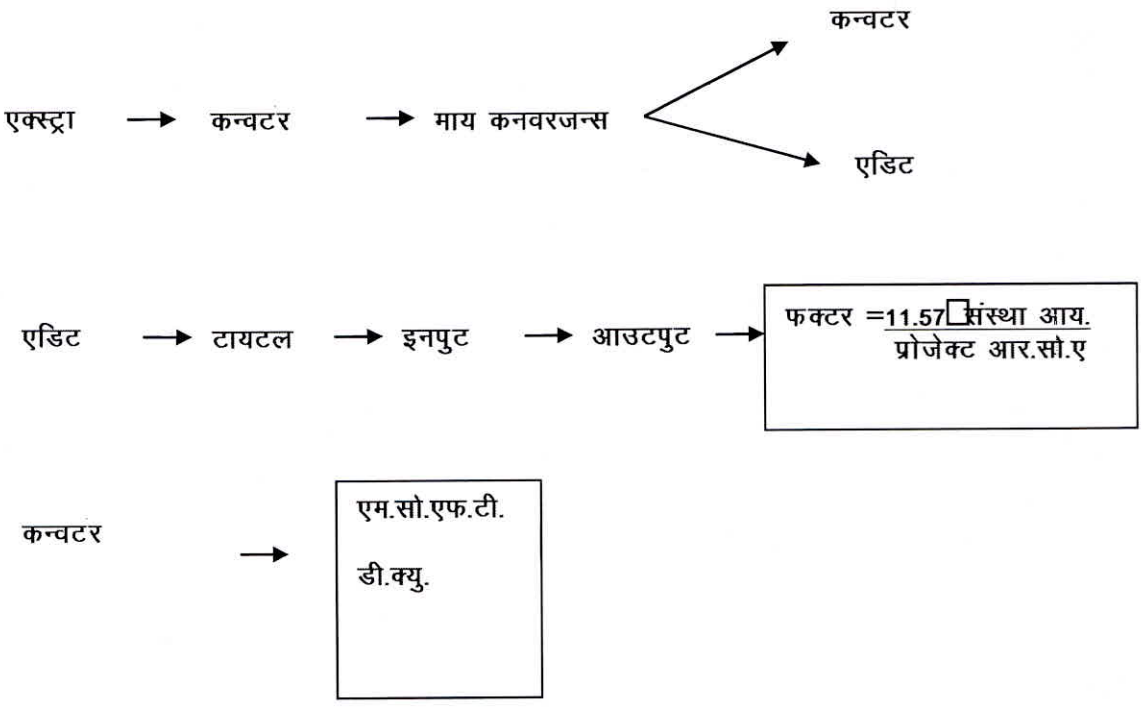

• प्रबन्धन हेतु हस्तांतरण

फसल की जरूरत के अनुसार पानी का नियोजन होने से फसल की पदावार में बढोतरी हुई। सिंचाई को हर बूंद का महत्व शासन को मिलने लगा।